राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1173/2013/जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–शाहजहांपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स धनलक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी,
डी–19, न्यू अनाज मण्डी, चाँदपोल, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री सतीश कुमावत,
अधिकृत प्रतिनिधि .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 08/09/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–शाहजहांपुर, द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 201/अपील्स–I/आरएसटी/जयपुर/2011–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.11.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश के द्वारा सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–शाहजहांपुर, अलवर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.09.2011 में राजस्थान बिक्री कर अधिनियम 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 78(5) सपठित धारा 24(6) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 व नियम 35 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रूपये 55,550/– को कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशों के साथ निष्पादन हेतु प्रतिप्रेषित करने को विवादित करते हुए प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रभारी चैकपोस्ट शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 07.01.2000 को वाहन संख्या डी.एल.–1–जी–3094 की जांच की गयी, जिसमें दिल्ली से जयपुर के लिये अजवाईन परिवहनित किया जाना पाया गया। परिवहनित माल के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों में घोषणा पत्र एस.टी.18ए अपूर्ण पाये जाने पर अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा धारा 78(2) सपठित नियम 53 राजस्थान बिक्री कर नियम, 1995 का उल्लंघन किया जाना मानकर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी चैकपोस्ट शाहजहांपुर द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित की गयी, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा

लगातार.....2

उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसका निष्पादन तत्कालीन उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 25.11.2004 से किया जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की गयी। उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, जयपुर के अपील निर्णय दिनांक 25.11.2004 के विरूद्ध विभाग द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील दायर करने पर राजस्थान कर बोर्ड द्वारा आदेश दिनांक 06.06.2006 द्वारा विभाग की अपील खारिज की गयी। तत्पश्चात् विभाग द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के आदेश दिनांक 06.06.2006 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष निगरानी दायर की गयी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिवीजन याचिका नंबर 292/2008 में निर्णय दिनांक 01.04.2011 के द्वारा प्रकरण पुनः निष्पादित किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया, जिसकी पालना में सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त—शाहजहांपुर, अलवर द्वारा विवादित आदेश पारित करते हुए शास्ति रूपये 55,550/— आरोपित की गयी थी, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश करने पर अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30.11.2012 के द्वारा प्रकरण को निष्पादन हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस प्रतिप्रेषण आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने बहस में अपीलीय अधिकारी के आदेश को त्रुटिपूर्ण होना बताया। संचलन के दौरान धारा 76(2)(बी) के प्रावधानुसार वाहन चालक के पास दस्तावेज पाये जाने के अपीलीय अधिकारी के अवलोकन को अविधिक होना बताया तथा अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रतिनिधि ने सुनवाई के दौरान अवगत कराया की प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा दिनांक 11.11.2014 को कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया है तथा रूपये 55,550/— शास्ति आरोपित कर दी गई है।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 30.11.2012 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने पालना करते हुए दिनांक 11.11.2014 को आदेश पारित कर दिया है। प्रतिप्रेषण आदेश की पालना हो जाने के कारण यह अपील निष्प्रभावी हो जाती है। इस

लगातार.....3

संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग [(2009) 25 टैक्स अपडेट 59]** के मामले में दी गई व्यवस्था निम्न प्रकार है –

> "In my opinion, no error has been committed by learned Tax Board while rendering the appeal filed by the Department as infructuous in view of the fact that the Assistant Commissioner, Commercial Taxes has decided the matter finally on remand. Therefore, no interference is required in the impugned order. However, it is made clear that the final order dated 30.11.2007 passed in pursuance of remand order 21.9.2007 was not under challenge in the appeal before the learned Tax Board."

6. उपरोक्तानुसार विस्तृत विवेचना के आधार पर अपीलार्थी की अपील निष्प्रभावी हो जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है अतः खारिज की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

08/09/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य